"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 573] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 सितम्बर 2019 — भाद्रपद 16, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्रमांक 9202/डी. 160/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-08-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2019)

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2019

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन.

2. पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) में, धारा 9 में, उप-धारा (14) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(14) कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, रूग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर, कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य या राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का कोई अधिकारी कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिस पर कोई कुलपति, जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 9 की उप-धारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण या पुन: पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु इस उप-धारा में अनुध्यात व्यवस्था छ: मास से अधिक की कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी."

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्रमांक 9202/डी. 160/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-9-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 15 of 2019)

THE PANDIT SUNDARLAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY CHHATTISGARH (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2019

An Act to further amend the Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh , Adhiniyam, 2004 (No. 26 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh (Amendment) Adhiniyam, 2019. **Short title, extent and commencement.**

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh Adhiniyam, 2004 (No. 26 of 2004), in Section 9, for sub-section (14), the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 9.**

"(14) In the event of occurence of any vacancy in the office of the Kulapati by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise including a temporary vacancy, the Rector and if no Rector has been appointed or if the Rector is not available then on recommendation of the State Government, the Dean of any faculty or the Senior most Professor of the University Teaching Department or any Officer not below the rank of Special Secretary to the State Government to be nominated by the Kuladhipati for that purpose shall act as the Kulapati until the date on which Kulapati is appointed, for filling such vacancy, under sub-section (7) of Section 9 enters or re-enters, as the case may be, upon his office:

Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.